वित्त विभाग
(कर अनुभाग)
अधिसूचना
जयपुर, 30 जुलाई, 2014

एस.ओ.117.-राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 (1999 का अधिनियम सं. 14) की धारा 9 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, यह राय होने पर कि लोकहित में ऐसा किया समीचीन है, इसके द्वारा आदेश देती है कि नीचे दी गयी सारणी के स्तम्भ संख्यांक 2 में विनिर्दिष्ट किसी संगम या स्टाक एक्सचेंज के माध्यम से किसी व्यापारिक सदस्य द्वारा कार्यान्वित संव्यवहार के अभिलेख (इलेक्ट्रोनिक या अन्यथा) के प्रवर्गों पर प्रभार्य स्टाम्प शुल्क घटाया जायेगा और उक्त सारणी के स्तम्भ संख्यांक 3 में उनके प्रत्येक के सामने विनिर्दिष्ट दरों पर प्रभारित किया जायेगा:-

क्र. सं.	संव्यवहार के अभिलेख का विवरण	स्टाम्प शुल्क की दर
1	2	3
1.	संव्यवहार का अभिलेख यदि सरकारी प्रतिभूतियों से भिन्न प्रतिभूतियों के क्रय या विक्रय से संबंधित हो-अपरिदान के मामलों में	प्रतिभूति के मूल्य का 0.0025 प्रतिशत।
2.	संव्यवहार का अभिलेख यदि विकल्प व्यापार से संबंधित हो-	
	(i) जहां विकल्प का प्रयोग नहीं किया गया है	प्रतिभूति के मूल्य का 0.0020 प्रतिशत।
	(ii) जहां विकल्प का प्रयोग किया गया है	प्रतिभूति के मूल्य का 0.01 प्रतिशत।
3.	संव्यवहार का अभिलेख यदि प्रतिभूतियों में फ्यूचर्स के विक्रय से संबंधित हो।	प्रतिभूति के मूल्य का 0.001 प्रतिशत।
4.	संव्यवहार का अभिलेख यदि किसी संगम के माध्यम से या अन्यथा व्यापार की गयी गैर-कृषिक वस्तुओं की अग्रिम संविदाओं से संबंधित हो।	अग्रिम संविदा के मूल्य का 0.001 प्रतिशत।
5.	संव्यवहार का .अभिलेख यदि किसी संगम के माध्यम से या अन्यथा व्यापार की गयी कृषिक वस्तुओं की अग्रिम संविदाओं से संबंधित हो।	अग्रिम संविदा के मूल्य का 0.0005 प्रतिशत।

[एफ.4(15)वित्त/कर/2014-90]
राज्यपाल के आदेश से,
अपूर्व जोशी,
उप शासन सचिव

NOTIFICATION
Jaipur, July 30, 2014

S.O.117.-In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 9 of the Rajasthan Stamp Act, 1998 (Act No. 14 of 1999), the State Government being of the opinion that it is expedient in public interest so to do, hereby orders that the stamp duty chargeable on categories of record of transactions (electronic or otherwise) effected by a trading member through the association or stock exchange, specified in column number 2 of table given below, shall be reduced and charged at the rate specified in column number 3 of the said table against each of them:-

S. No.	Description of Record of Transaction	Rate of stamp duty
1	2	3
1.	Record of Transaction if relating to purchase or sale of securities, other than Government securities - in case of non delivery	0.0025 percent of the value of security.
2.	Record of Transaction if relating to options trading-	
	(i) where option is not exercised.	0.0020 percent of the value of security.
	(ii) where option is exercised.	0.01 percent of the value of security.
3.	Record of Transaction if relating to sale of .a futures in securities.	0.001 percent of the value of security.
4.	Record of Transaction if relating to forward contracts of non-agriculture commodities traded through an association or otherwise.	0.001 percent of the value of the forward contract.
5.	Record of Transaction if relating to forward contracts of agriculture commodities traded through an association or otherwise.	0.0005 percent of the value of the forward contract.

[No.F.4(15)FD/Tax/2014-90]
By Order of the Governor,
(Apoorv Joshi)
Deputy Secretary to the Government

<u>राजस्थान–सरकार</u>
<u>कार्यालय महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग,राज.,</u>
<u>"कर–भवन", अजमेर</u>

क्रमांक : एफ–7(39)जन/2013/पार्ट–I/ 7162–7748 दिनांक : 01/8/14

अधिसूचना क्रमांक एफ.4(15)वित्त/कर/2014–90 दिनांक 30.07.14 की प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है :–

1. शासन सचिव, वित (राजस्व) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. समस्त कलक्टर एवं जिला पंजीयक, राजस्थान।
3. वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी, एस.आर.ए.5/कार्यालय महालेखाकार, (वाणिज्यिक एवं प्राप्ति लेखापरीक्षा) राजस्थान, जनपथ, जयपुर।
4. पंजीयक, राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर को कर बोर्ड के माननीय सदस्यों के अवलोकनार्थ।
5. वित्तीय सलाहकार, मुख्यालय, अजमेर।
6. उप विधि परामर्शी/सहायक विधि परामर्शी, मुख्यालय, अजमेर।
7. अतिरिक्त महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, कमरा नम्बर 401, ब्लॉक–डी, वित्त भवन, जयपुर।
8. अतिरिक्त कलक्टर (मुद्रांक), जयपुर / समस्त उप महानिरीक्षक, पंजीयन एवं पदेन कलक्टर (मुद्रांक), राजस्थान।
9. उप निदेशक (कम्प्युटर), मुख्यालय, अजमेर को अधिसूचनाओं की प्रति विभाग की बेवसाईट **www.igrs.rajasthan.gov.in** पर अपलोड कराने हेतु।
10. समस्त उप पंजीयकगण (पूर्णकालीन एवं पदेन), राजस्थान को पालनार्थ।
11. मुख्य विधि सहायक कार्यालय उप महानिरीक्षक, पंजीयन एवं पदेन कलक्टर (मुद्रांक), वृत–जयपुर/ जोधपुर।
12. उप राजकीय अभिभाषक, राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर।
13. समस्त प्रभारी, आन्तरिक लेखा जॉच दल, मुख्यालय, अजमेर।
14. निजी–सचिव, महानिरीक्षक/निजी–सहायक, अतिरिक्त महानिरीक्षक, अजमेर।
15. समस्त शाखाएँ, मुख्यालय, अजमेर।

31/7/14
(मिरजू राम शर्मा)
अतिरिक्त महानिरीक्षक,
पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग,
राजस्थान, अजमेर
31/7/14